has allotted time for Government Legislative Business as follows:—

Business	Time Allotted
Consideration and passing of the following Bills:—	
The Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2006.	Half-an-hour
The Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control (Repeal) Bill, 2005.	Half-an-hour
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Bill, 2005	4 hours
The Cess Laws (Repealing and Amending) Bill, 2005, after it has been passed by the Lok Sabha	Half-an-hour

LEAVE OF ABSENCE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that a letter has been received from Shri Dilip Ray stating that he is unable to attend the House from 16th February to 3rd March, 2006 of the current Session, as his mother has expired on the 17th February, 2006 at his hometown Rourkela, Orissa and he will have to perform all the rituals at Rourkela for 14 days. He has , therefore, requested for grant of Leave of Absence from the 16th February to 3rd March, 2006 of the current Session of the Rajya Sabha.

Does he have the permission for remaining absent from the House from the 16th February to 3rd March, 2006 of the current Session of the Rajya Sabha?

(No Hon. Member dissented)

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 30 मार्च 2009

27 फरवरी, 2006 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा: -

आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार ।

(श्री उपसभापति महोदय पीठासीन हुए)

स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अन्तरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2005 पर विचार और परित करना ।

लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2006पर विचार और पारित करना ।

लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक , 2005 पर विचार और पारित करना ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड विधेयक , 2005 पर विचार और पारित करना ।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2006 का निरनुमोदन चाहने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षाणिक संस्थान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार और पारित करना ।

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Removal of Chaudhary Devi Lai's Name from the Thermal Power Plant at Panipat in Haryana

श्री तरलोचन सिंह (**हरियाणा**) : माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से इस हाउस के ऑनरेबल मैम्बर्स का ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि जो यह हाउस ऑफ ऐल्डर्स है, देश की जो परम्पराएं हैं, उनकी , तरफ ध्यान रखते हुए, आप इस विषय पर भी खास ध्यान दें ।

मान्यवर, इस देश की सदियों से एक परम्परा है कि हम नेशनल हीरोज़ का बिना किसी धर्म, जात या पोलिटिकल व्यू के सत्कार करते हैं, और आज तक इस देश में यह परम्परा कायम रही । जब फ्रीडम मूवमेंट आई तो जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वे किसी विचारधारा के थे, उनका